तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एलआर/5095/2003/जयपुर सरकार बनाम हरबक्श	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य

उपस्थितः–
श्री राजेन्द्र मीणा, उप राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी।
श्री आत्माराम शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी।

––

निर्णय
दिनांकः 28–08–19

यह रेफरेंस जिला कलक्टर, जयपुर ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 19–08–2003 द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया है।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार, आमेर ने अधीनस्थ न्यायालय में रेफरेंस प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक खतौनी बंदोबस्त संवत् 2015 ग्राम धानक्या, तहसील जयपुर में खसरा सं0 440 रकबा 04 बिस्वा माफी मंदिर श्री सीताराम जी पुजारी श्री हरबक्ष पुत्र गोविन्दराम जाति ब्राहम्ण निवासी धानक्या की खातेदारी में दर्ज थी तथा कालान्तर में उक्त भूमि बिना किसी वेध आदेश के माफी मंदिर के बजाय हस्तातंरित होकर वर्तमान में पेमा, कल्याण, हरिनारायण पिता हरदेवा हि0 1/4, हनुमान,छीतर पिता लाला हिस्सा 1/4, मंगला,नानू, चन्द्रा, मोती पिता मांग्या काना, योजी पिता बाल्या, गनिया पुत्र गिरधारी हिस्सा1/4 कौम जाट सा0 देह के नाम दर्ज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एलआर/5095/2003/जयपुर सरकार बनाम हरबक्श	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हो गई । अतः उक्त प्रविष्टि विलोपित की जाकर वापस भूमि मंदिर श्री सीताराम जी के नाम दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किए जावें। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए। अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए योग्य राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19–08–2003 से यह रेफरेंस मण्डल को प्रेषित किया है। मैंने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य उप राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि माफी मंदिर श्री सीताराम जी की खातेदारी में दर्ज थी, जिसको जमाबंदी तैयार करते समय माफी मंदिर का नाम विलोपित कर अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। माफी मंदिर की भूमि का हस्तातंरण अप्रार्थीगण के पक्ष में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के हुआ है। मूर्ति/मंदिर शाश्वत नाबालिक है, जिसकी भूमि पर पुजारी या किसी भी अन्य को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं हो सकते यदि किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान हो गए हो तो वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एलआर/5095/2003/जयपुर सरकार बनाम हरबक्श	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1955 की धारा 46 के प्रावधानों के विपरीत है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जावें। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने तर्क दिया कि विवादित भूमि माफी मंदिर की न होकर उनकी खातेदारी की है, जिस पर उनका कब्जा काश्त है। उनका यह भी तर्क था कि रेफरेंस अत्यधिक विलम्ब से पेश किया गया है तथा गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है, जो स्वीकार्य नहीं है। अन्त में उन्होंने तर्क दिया कि रेफरेंस निरस्त किया जावें। मैने योग्य अधिवक्तागण के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रश्नगत रेफरेंस में राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख से स्पष्ट है कि विवादित भूमि श्री सीताराम जी की खातेदारी की भूमि है, जिसे बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के अप्रार्थीगण के नाम अंकित किया गया है अर्थात अविधिक रूप से माफी मंदिर की भूमि को अप्रार्थीगण के नाम अंकित किया गया है, ऐसी स्थिति में अविधिक कार्यवाही के लिए कोई समय सीमा नहीं है। वर्तमान विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में मूर्ति मंदिर को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एलआर/5095/2003/जयपुर सरकार बनाम हरबक्श	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	शाश्वत अवयस्क माना गया है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रतिबंध के कारण अवयस्क की भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते। मंदिर की भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा काश्त करने पर भी वह मंदिर की खुदकाश्त की तरह मानी जावेगी। ऐसी स्थिति में इस भूमि के संबंध में अप्रार्थीगण के पक्ष में किए गए इन्द्राजात निरस्त किए जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि को अप्रार्थीगण की खातेदारी से हटाकर वापस माफी मंदिर श्री सीतारामजी के नाम अंकित किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णीत इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(शिखर अग्रवाल)** **सदस्य**	